<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>03.12.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.12.2025 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर जिलों में 'जोगानिया ऑनलाइन बेटिंग ऐप' मामले में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने बालमुकुंद इनानी और उसके सहयोगियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की।

उक्त एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि बालमुकुंद इनानी और उसके सहयोगी क्रिकेट, फुटबॉल, कैसीनो गेम्स और अन्य संयोग आधारित गतिविधियों पर अवैध सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करने के लिए "जोगनिया ऑनलाइन बुक" नाम से वेब आधारित पोर्टल संचालित करके "जोगनिया ऑनलाइन बुक/ऐप" के नाम से अवैध ऑनलाइन जुआ/सट्टेबाजी की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। यह आरोप लगाया गया है कि बालमुकुंद इनानी और उसके सहयोगियों ने खिलाड़ियों से नकद या ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से पैसे एकत्र किए हैं। वे रोजमर्रा के मजदूरों और वेतनभोगी युवाओं को संयोग आधारित खेल खेलकर भारी रकम जीतने के बहाने प्लेटफॉर्म पर नामांकन के लिए लुभाते थे। बालमुकुंद इनानी और उसके सहयोगियों ने सैकड़ों करोड़ रुपये की रकम के लिए निर्दोष और भोले-भाले खिलाड़ियों को धोखा दिया है।

दिनांक 02.12.2025 को किए गए व्यापक तलाशी अभियान के दौरान यह पता चला है कि बालमुकुंद इनानी कमीशन देकर बिचौलियों के माध्यम से प्राप्त सैकड़ों म्युल बैंक खातों का उपयोग करके "जोगनिया ऑनलाइन बुक" का संचालन कर रहा है। कोई संगठित/नियमित भुगतान प्रणाली नहीं है और खिलाड़ियों से भुगतान सैकड़ों म्युल बैंक खातों में और नकद में भी प्राप्त किया गया था। नियंत्रक/संचालक भुगतान प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन पर खिलाड़ियों को म्युल बैंक खातों का विवरण भेजते/प्रसारित करते थे। इन म्युल बैंक खातों का उपयोग अवैध आय को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए किया जाता था। जोगनिया ऑनलाइन बुक मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले और उसके आसपास और अन्य स्थानों पर शाखा आईडी और मास्टर आईडी/नेटवर्क एजेंटों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से संकेत मिलता है कि बालमुकुंद इनानी, जो अब दुबई में है, ने रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश और वहां अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से

अपराध की आय को दुबई में भेजा है। बालमुकुंद इनानी, उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों द्वारा उनके नाम पर अधिग्रहित कई अचल संपत्तियों का विवरण तलाशी के दौरान एकत्र किया गया है।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1) के तहत विभिन्न बैंक खातों में 47.66 लाख रुपये और एक डीमैट खाते में 12.80 लाख रुपये फ्रीज करने के अलावा 13 लाख रुपये की नकदी और एक हाई-एंड वाहन (जगुआर एफ-पेस) जब्त किया गया। अचल और चल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज, सैकड़ों खच्चर खातों के विवरण सहित पर्याप्त आपत्तिजनक साक्ष्य और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।